

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3( )/आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्ध/2020-21/


दिनांक :

परिपत्र

विषय : माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के आस्थगित (Deferred) वेतन का भुगतान बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, राज0 सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006 दिनांक 26.02.2021 द्वारा माह मार्च देय अप्रैल, 2020 के आस्थगित (Deferred) वेतन के भुगतान करने बाबत स्वीकृति प्रदान की गई है।


अतः समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि का वेतन वित्तीय वर्ष 2020-21 (मार्च, 2021) में ही आहरित किया जाना सुनिश्चित करावे। संवेतन मद में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर मुख्यालय को पत्र/ई-मेल द्वारा अविलम्ब अवगत कराया जावे, ताकि बजट आवंटन किया जा सके।

  
(सिरमौर मीना)  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : प.3( )/आ.कृ./लेखा/बजट/प्रतिबद्ध/2020-21/8581-781 दिनांक : 05/03/21

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा/उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण)टॉक।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन), मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (पौध व्याधि/वनस्पति/गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (खण्ड) .....
5. समस्त उप निदेशक, कृषि (गुण नियंत्रण)/मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला) .....
6. उप निदेशक, कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .....
8. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् .....
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी .....
10. उप निदेशक, कृषि (शष्य) मलिकपुर/चित्तौडगढ़/छत्रपुरा/बूंदी/करणपुर/तबीजी/रामपुरा जोधपुर/हनुमानगढ़/लूणकरणसर/उप निदेशक, कृषि (रसायन), जोधपुर।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेब साइट पर उपलब्ध करवावे।

  
वित्तीय सलाहकार